सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 767 राँची, गुरुवार, 3 अक्टूबर, 2019 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

20 सितम्बर, 2019

विषयः- **झारखण्ड भूमिगत जल, गैस और ड्रेनेज पाईप लाईन (भूमि में उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) नियमावली, 2018 एवं भूमि के उपयोग के अधिकार (Right of Use) के अन्य अधिनियमों/नियमावलियों के तहत् सरकारी भूमि के उपयोग हेतु दर का निर्धारण के संबंध में।**

संचिका संख्या-5/स०भू० पाईपलाईन-105/19-3553/रा०,-- झारखण्ड भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाईप लाईन (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) नियमावली**, 2018 (**नियम-**7)** द्वारा रैयती भूमि के उपयोग के अधिकार (**Right of Use**) के संबंध में मुआवजा का निर्धारण उस भूमि के बाजार मूल्य के **10** प्रतिशत की दर से देय होगा**,** प्रावधान किया गया है। उक्त नियमावली में सरकारी भूमि के उपयोग के अधिकार (**Right of Use**) के संबंध में भूमि का मूल्य किस प्रकार देय होगा उल्लेख नहीं किया गया है।

2. राज्य में चलायी जा रही जल/गैस/ड्रेनेज पाईप लाईन योजनाओं/परियोजनाओं का क्रियान्वयन ससमय प्रारंभ होने एवं लागत व्यय में अपेक्षित बचत होने के साथ ही, विकास एवं जन कल्याण संबंधी कार्यों का लाभ त्वरित रूप से मिलने के उद्देश्य से उक्त योजनाओं के लिए सरकारी भूमि का उपयोग के अधिकार (**Right of Use**) दिया जाना आवश्यक है। अतएव सरकारी भूमि के उपयोग के अधिकार देने के संबंध में भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

3. विषयगत योजना में सरकारी भूमि का स्थायी हस्तांतरण/लीज बंदोबस्ती नहीं किया जाना है। यद्यपि सरकारी भूमि के उपयोग का अधिकार (**Right of Use**) दिया जाना है। अतएव रैयती भूमि के उपयोग के अधिकार (**Right of Use**) के लिए नियमावली में भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु जो प्रावधान है उसी तरह सरकारी भूमि का भी भूमि के बाजार मूल्य का **10** प्रतिशत राशि प्राप्त कर उपयोग का अधिकार (**Right of Use**) दिया जायेगा।

4. अतः उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-**14.09.19** में मद संख्या-**13** के रूप में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि - भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाईप लाईन की अवधि के लिए सरकारी भूमि के उपयोग का अधिकार (त्पहीज वि नेम) घोषणा प्रकाशन की तिथि को प्रचलित भूमि के बाजार मूल्य के **10** प्रतिशत की दर से सरकारी भूमि का मूल्य एवं भूमि के उपयोग के अधिकार (**Right of Use**) के अन्य अधिनियमों/नियमावलियों में जो दर निर्धारित है उसी के अनुरूप सरकारी भूमि के बाजार मूल्य निर्धारित किया जायेगा। यह दर सिर्फ **Right of Use** के लिए ही प्रभावी होगा।

"**RFCTLARR Act** के प्रावधानों के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किया जायेगा तथा **Right of Use** से संबंधित सभी मामलों में समुचित राशि प्राप्त कर उपायुक्त द्वारा सरकारी भूमि उपलब्ध कराया जायेगा।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 767 -- 50